न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

प्र0सं0 01/25 दायरा दिनांक 21.01.2025

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1. मोहनचन्द उम्र 50 वर्ष पुत्र भंवरा जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. कैलाश उम्र 45 वर्ष पुत्र भंवरा जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. प्रकाश उम्र 40 वर्ष पुत्र भंवरा जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. सत्तो उम्र 42 वर्ष पुत्री पुत्र भंवरा जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
5. नवलो उम्र 70 वर्ष पत्नि पुत्र भंवरा जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

1. मानू पुत्र भूरा जाति कोली निवासी ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. रामजीलाल पुत्र भूरा जाति कोली निवासी ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. हीरालाल पुत्र भूरा जाति कोली निवासी ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. जामन्ती पुत्री भूरा पत्नि कल्लू जाति कोली निवासी ग्राम खाण्डासहरोल हाल निवासी घेंसुवा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
5. अजुद्दी पत्नि भूरा जाति कोली निवासी ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान फोत
6. रमुआ पुत्र सोडू जाति कोली निवासी ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान फोत

6/1 बृजलाल पुत्र रमुआ जाति कोली निवासी ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

6/2 रूकमणी पुत्री रमुआ पत्नि पप्पू जाति कोली निवासी हाल अजरोंडा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

6/3 रामवती पुत्री रमुआ पत्नि प्रेमचन्द जाति कोली निवासी हाल किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान

7. माखो पुत्री सोडू जाति कोली निवासी ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान फोत

7/1 दयाराम पुत्र किशना [illegible] खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

7/2 भागवती पुत्री किशना पत्नि [illegible] निवासी [illegible]हरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

7/3 रबूदी पुत्री किशना पत्नि गब्बू जाति कोली निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान फोत

7/3/1 रामजीलाल पुत्र गब्बू जाति कोली निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:34:17 IST
Reason: SelfAttested

नि. 24.04.2025

उपखण्ड अधिकारी

7/3/2 भिनिया पुत्री गब्बू पत्नि मनफूल जाति कोली निवासी अजरोंडा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

8. पांचो पुत्री सोडू जाति कोली निवासी ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान लाऔलाद फोत

9. मन्नू पुत्र खैरू जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

10. मंगल पुत्र खैरू जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

11. माखन्दी पुत्री खैरू पत्नि श्रीलाल जाति कोली निवासी बीची तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

12. छोटी पत्नि खैरू पत्नि श्रीलाल जाति कोली निवासी बीची तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान फोत

13. बुद्धू पुत्र नत्थू जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

14. चिरोंजीलाल पुत्र नत्थू जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

15. साबू पत्नि पुत्र नत्थू जाति कोली निवासी खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक— 24.04.2025

उपस्थित —
प्रार्थीगण की ओर से—श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
अप्रार्थी क्रम 1 ता 4, 13 की ओर से—श्री धीरेन्द्र कुमार एडवोकेट
अप्रार्थी क्रम 6/2,6/3,9,10,11,14,15 की ओर से—श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट
अप्रार्थी क्रम 6/1,7/1,7/2,7/3/1,7/3/2 की ओर से—एकपक्षीय
अप्रार्थी क्रम 16 की ओर से—पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खाण्डासहरोल पटवार क्षेत्र खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद के खाता संख्या 236 में कृषि भूमि खसरा संख्या 39 रकबा 0.14 बीघा व आराजी खसरा संख्या 466 रकबा 1.16 बीघा किता 2 कुल रकबा 2.10 बीघा स्थित है। जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम हिस्सा 1/2 से तथा अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के नाम हिस्सा 1/10, अप्रार्थी क्रम 6 ता 8 के नाम हिस्सा 3/10, अप्रार्थी क्रम 9 ता 12 के नाम हिस्सा 2/25 व अप्रार्थी क्रम 13 ता 15 के नाम हिस्सा 1/50 से खाता दर्ज है। इस प्रकार विवादित आराजी में प्रार्थीगण का हक व हिस्सा 1/2 शामिल होकर खाता दर्ज है। विवादित आराजी कृषि भूमि होकर प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी क्रम 1 ता 15 के नाम संयुक्त खाता दर्ज है, जिसका प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के मध्य आज तक कभी कोई विभाजन नहीं हुआ है। विवादित आराजी में से खसरा संख्या 466 रकबा 1.16 बीघा ग्राम खाण्डासहरोल से बीची जाने बाली पक्की सडक के लगवां स्थित है, जो रोड के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:34:17 IST
Reason: SelfAttested

24.04.2025

लगवां स्थित होने से अत्यंत ही कीमती है, जिसके रोड से लगवां भाग पर अप्रार्थीगण बिना किस्म संपरिवर्तन कराये तथा बिना विभाजन के ही आवासीय निर्माण कर रहे हैं, इसी अनुक्रम में दिनांक 06.01.2025 को अप्रार्थी कम 9 मन्नू ने नींव खोद विवादित आराजी खसरा संख्या 466 में आवासीय निर्माण करना प्रारंभ कर दिया है। प्रार्थीगण ने रोका व मना किया तथा अप्रार्थीगण से विभाजन के लिये कहा तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये और प्रार्थीगण को धमकी दी है कि वे शीघ्र ही विवादित आराजी में आवासीय निर्माण कर आराजी खसरा संख्या 466 के संपूर्ण रोड से लगवां भाग पर कब्जा करेंगे। अप्रार्थीगण की उक्त धमकी व कृत्य से प्रार्थीगण के हकूक मालिकाना हिस्सा आराजी को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। इस कारण प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के वैधानिक अधिकारी हैं। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वे विवादित आराजीयात कृषि भूमि में बिना अपना हिस्सा निर्धारित कराये रोड से लगवां भाग पर आवासीय निर्माण कर लेंगे, जिससे अनावश्यक विवाद उत्पन्न होंगे तथा प्रार्थीगण के हक हकूक प्रभावित होकर अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं होगा और प्रार्थीगण के वाद पेश करने का उद्वेश्य ही समाप्त हो जावेगा। विवादित आराजी कृषि भूमि होकर श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद में स्थित होने से श्रीमान न्यायालय को प्रार्थनापत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थनापत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। अन्य वजूहात वक्त वहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे। अप्रार्थी कम 16 सर्वोच्च भूस्वामी होने से पक्षकार हैं। अप्रार्थी कम 5,6,7,8 तथा 12 की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थी कम 5 के विधिक वारिसान अप्रार्थी कम 1 ता 4 पक्षकार हैं। अप्रार्थी कम 6 के विधिक वारिसान अप्रार्थी कम 6/1 ता 6/3 पक्षकार हैं। अप्रार्थी कम 7 के विधिक वारिसान अप्रार्थी कम 7/1 ता 7/3 पक्षकार हैं, जिनमें से भी 7/3 के फोत हो जाने से 7/3/1 व 7/3/2 पक्षकार हैं। अप्रार्थी कम 8 लाऔलाद फोत है, जिसके अप्रार्थी कम 6/1 ता 6/3 व 7/1 ता 7/3 विधिक वारिसान पक्षकार हैं तथा अप्रार्थी कम 12 के विधिक वारिसान अप्रार्थी कम 9 ता 11 पक्षकार हैं, जिनके विरूद्ध प्रार्थनापत्र पेश है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थी कम 1 ता 15 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी ग्राम खाण्डासहरोल पटवार क्षेत्र खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद के खाता संख्या 236 में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 39[illegible] रकबा [illegible] 2.14 बीघा तथा खसरा संख्या 466 रकबा 1.16 बीघा कुल रकबा 3.10 बीघा के किसी भी भाग पर कोई आवासीय निर्माण नहीं करें, ना ही [illegible] भी भाग को विक्रय अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करें।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:34:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीक्रम 1 ता 4,6/2,6/2,6/3,9,10,11,14,15 मय अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा अप्रार्थीक्रम 6/1,7/1,7/2,7/3/1,7/3/2 के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। मूल वाद आपसी सहमति से दर्ज हिस्सा अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन किये जाने हेतु स्वीकार किया जा चुका है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी ग्राम खांडासहरोल तहसील शाहावाद सम्वत 2070–73 खाता संख्या 236 में विवादित आराजी ख0नं0 39 रकबा 0.14 बीघा तथा ख0नं0 466 रकबा 1.16 बीघा किता 2 कुल रकबा 2.10 बीघा में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 रिकार्डेड खातेदारी में दर्ज है, विवादित भूमि कृषि भूमि तथा सहखाते की होने से बिना विभाजन तथा बिना किस्म परिवर्तन के आवासीय निर्माण किया जाना विधि विरूद्व है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद ग्राम खाण्डासहरोल तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 39 रकबा 0.14 बीघा व आराजी ख0नं0 466 रकबा 1.16 बीघा किता 2 कुल रकबा 2.10 बीघा में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करेंगे और यथास्थिति बनाये रखेंगे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रार्थनापत्र फैसल होकर पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

24.04.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:34:17 IST
Reason: SelfAttested